न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मांगीलाल राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 59 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. देवीसिंह जैतावत दत्तक पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी देवली हुल्ला तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. ओगड़राम पुत्र धीसाराम जाति देवासी निवासी देवली हुल्ला तहसील सोजत जिला पाली राज। 02. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री पवन कुमार सैन, श्री मोहित सांखला अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 15/04/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 594 रकबा (हैक्टर में) 1.7000 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.7000 हैक्टर की कृषि भूमि में संपूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी का हैं तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर मौके पर काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त कृषि भुमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है, लेकिन सीमाओ का निर्धारण नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 04 / 12 / 2019 को तहसीलदार सोजत के समक्ष सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व टीम गठित की गयी एवं दिनांक 06 / 12 / 2024 को प्रार्थी की उपस्थिति में एवं अन्य गवाहान की उपस्थिति में सीमाकंन हेतु पहुंचे जिस पर मौके पर सीमाओ को लेकर विवाद होने के कारण सीमाकंन संभव नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खातेदारी हक की भुमि के संबंध में सीमाओ के विनिर्दिष्ट निर्धारण हेतु एवं मौके पर बार बार वाद विवाद से बचने के लिये सीमाकंन एवं पत्थरगड्डी करवाये। तदर्थ प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। अप्रार्थी संख्या 1 को पास की भुमि की खातेदारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से बतौर अप्रार्थी संयोजित किया गया है एवं तहसीलदार भुमि धारक सोजत आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली राज के खसरा नंबर 594 रकबा 1.7000 हैक्टर भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाया जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 जवाब प्रा0पत्र पेश करना नहीं चाहने से जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली राज0 के खसरा नंबर 594 रकबा 1.7000 हैक्टर भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाया जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली राज0 के खसरा नंबर 594 रकबा 1.7000 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

-: आदेशः-

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली राज0 के खसरा नंबर 594 रकबा 1.7000 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 15/04/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत